पत्रांक–5 / न0वि0 / वृ०श०परि०–49 / 2016.....340.....

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

MOMENTUM JHARKHAND

TSP

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–27/02/17

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–19 की अवधि में राजधानी राँची में "झारखण्ड अरबन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इंस्टीच्युट" के लिए भवन निर्माण हेतु कुल 119,33,80,000/–रू० के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में वृहत शहरी परिवहन योजनाऐं, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद अन्तर्गत TSP प्रक्षेत्र से प्रथम किस्त के रूप में सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची को कुल 95,30,00,000/–रू० (पन्चानवे करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–19 की अवधि में राजधानी राँची में "झारखण्ड अरबन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इंस्टीच्युट" (जुपमी) के लिए भवन निर्माण हेतु कुल 119,33,80,000/–रू० के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 वृहत शहरी परिवहन योजनाऐं, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद अन्तर्गत TSP प्रक्षेत्र से प्रथम किस्त के रूप में सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची को कुल 95,30,00,000/–रू० (पन्चानवे करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना हेतु परामर्शी व्यय की राशि का भुगतान सर्वश्री जुडको लिमिटेड के द्वारा परामर्शी शीर्ष में विभाग द्वारा उन्हें पूर्व में आवंटित राशि से किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि का निकासी वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–79–वृहत शहरी परिवहन योजनाऐं, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना STATE SCHEME- MAJOR URBAN TRANSPORT PROJECTS, SOLID WASTE MANAGEMENT, SEWERAGE & DRAINAGE AND CIVIC INFRASTRUCTURE (1085)– विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48P221780796790679 से विकलनीय होगी।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

4. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड उक्त निकासी की गयी राशि का सर्वश्री जुडको लिमिटेड के पी०एल० खाते में भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

Manju/E/Shail/Major Urban Project 16-17-68

6. उक्त योजना हेतु M/s Vasant Dora & Associates द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

JHARKHAND URBAN PLANNING & MANAGEMENT INSTITUTE, RANCHI		
PROJECT COST SUMMARY		
1	2	3
Sl. No.	ITEM	Grand Total Amount
A	Civil, Architectural Works.	660425389.00
B	Electrical Works & Lifts.	230109005.00
C	Plumbing & Sanitary Installation Works.	51082358.00
D	Fire Fighting Works.	23316945.00
E	HVAC Works.	77403582.00
F	Horticulture & Landscape Works.	8768704.00
	Total-	1051105983.00
	Add Laboar cess 1%	10511059.83
	Add Furniture cost (10% of civil Item)	66042538.90
	Add Kitchen equipment (2% of civil Item)	13208507.78
	Add Centage-	52511059.83
	Total-	1193379149.34
	or Say-	119.338 Crore

340 27/02/17

7. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष (2014-15) में उक्त योजना हेतु कोई भी राशि सर्वश्री जुडको लिमिटेड को आवंटित नहीं की गयी है। अतएव उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिवेदन शून्य है।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा

9. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं का अनुपालन करते हुए आहरित राशि को नगरपालिका की लेखा में सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

10. सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत योजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त DPR के अनुसार कार्यान्वयन नियमानुसार खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाए एवं मासिक भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

11. उक्त योजना का कार्यान्वयन 24 माह में सुनिश्चित किया जाय।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0-2561 दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के कंडिका-1.1 के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक-21.02.2017 की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-01 के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार सिंह) 27.2.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/वृ०श०परि०–49/2016........340........../न0वि0वि0, राँची, दिनांक– 27/02/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/महापौर, राँची नगर निगम/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड, राँची/परियोजना निदेशक (प्रशासन/तकनीकी) जुडको लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति हेतु संलेख

विषयः—राजधानी राँची में झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीच्युट (जुपमी) के लिए भवन निर्माण हेतु 119.338 करोड़ रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है।

निरन्तर विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में नगरीकरण त्वरित गति से हो रहा है एवं झारखण्ड राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आमजन को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना नगरीकरण का सही तरीके से प्लानिंग कर ही किया जा सकता है, जिसके द्वारा न केवल वर्त्तमान में आमजन को समुचित मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना संभव होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बढ़ती आबादी के साथ भविष्य में भी आमजन को मौलिक सुविधाओं का अभाव न हो एवं सरकार द्वारा आमजन को गुणवत्तायुक्त जीवन देने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह किया जा सके। इसके लिए आवश्यकता है कि झारखण्ड में नगर नियोजन एवं नगर प्रबंधन की शिक्षा हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाए।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राँची शहर में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीच्युट (जुपमी) के स्थापना का प्रस्ताव है। जुपमी शहरी योजना एवं प्रबंधन हेतु विश्वस्तर का एक अकादमिक एवं प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसमें शैक्षणिक प्रसार भवन एवं कार्याशाला के साथ कक्षा आधारित अध्ययन एवं संवादात्मक अध्ययन के लिए नवोन्नत प्रौद्योगिकीय सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा।

संस्थान में नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानवीय एवं सांस्थानिक क्षमताओं के विकास हेतु नगर प्रबंधन, नगर नियोजन, आवास, नगरीय पर्यावरण प्रक्षेत्र, इत्यादि में विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्शी सेवाएँ एवं अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

3. उक्त योजना हेतु M/s Vasant Dora & Associates द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी हैः—

JHARKHAND URBAN PLANNING & MANAGEMENT INSTITUTE, RANCHI
PROJECT COST SUMMARY

1 Sl. No.	2 ITEM	3 Grand Total Amount
A	Civil, Architectural Works.	660425389.00
B	Electrical Works & Lifts.	230109005.00
C	Plumbing & Sanitary Installation Works.	51082358.00
D	Fire Fighting Works.	23316945.00
E	HVAC Works.	77403582.00
F	Horticulture & Landscape Works.	8768704.00
	Total-	**1051105983.00**
	Add Laboar cess 1%	10511059.83
	Add Furniture cost (10% of civil item)	66042538.90
	Add Kitchen equipment (2% of civil item)	13208507.78
	Add Centage-	52511059.83
	Total-	1193379149.34
	or Say-	**119.338 Crore**

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उत्तरोतर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:–

मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना– पशीर्ष–79– वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)– 48P22178079679067**9.**

5. स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आंवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। निकासी की गई राशि को सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि0) के द्वारा पी0एल0 खाते में संधारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

6. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत स्थापित सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि0) के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा।

7. उपर्युक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि0 को योजना–सह–वित्त विभाग(वित्त प्रभाग) के संकल्प संख्या 3201 वि0 दिनांक 04.11.2016 के आलोक में अनुमान्य centage का भुगतान किया जाएगा।

8. झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीच्युट (जुपमी) भवन निर्माण की अवधि 24 माह होगी।

9. उक्त के आलोक में राँची शहर में झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीच्युट (जुपमी) भवन निर्माण योजना, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 119.338 करोड़ रूपये (एक सौ उन्नीस करोड़ तैंतीस लाख अस्सी हजार रूपये) हैं, के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

10. प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. संलेख की कंडिका–2 से 9 में अंतर्निहित प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की प्रशासनिक स्वीकृति प्रार्थित है।

17.11.16

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–5 / न0वि0 / विविध–86 / 2016......6250...... राँची, दिनांक–......17/11/16

प्रतिलिपि:–योजना एवं विकास विभाग को अतिरिक्त 10 (दस) प्रतियों के साथ योजना प्राधिकृत समिति की आगामी बैठक में शामिल किए जाने हेतु प्रेषित।

17.11.16
सरकार के प्रधान सचिव।

JS.